[16/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 783]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 783 (सत्र फरवरी –मार्च 2023)

परिशिष्ट -अ

माननीय विधायक महोदय के पत्र क्र.-135/F-10/23 दिनांक 10.01.2023 के साथ श्री जाहिद अली (बल्ले भाई) जिला अध्यक्ष वक्फ कमेटी दतिया का पत्र क्र.-02-2 दिनांक 10.01.2023 प्राप्त हुआ उक्त पत्र में मौजा भाण्डेर के सर्वे नं. 102,103 एवं मौजा हसारी के शासकीय सर्वे न. 30 से कब्रिस्तान हेतु अतिक्रमण हटाकर रास्ता दिलाये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :- **1.** मौजा भाण्डेर के सर्वे नं. 102 एवं 103 का राजस्व निरीक्षक/मौजा पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया । मौजा पटवारी भाण्डेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मौजा भाण्डेर के सर्वे न. 102 रकवा 0.637 जिसकी नोईयत टीला शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसमें मुस्लिम समाज की काफी पुरानी कब्रें एवं मठ बनी हुई है । इसी सर्वे नं. 102 पर रकवा 0.02 है. पर अतिक्रमणकर्ता फूलसिंह, रामसेवक, बिहारी पुत्रगण गोविन्दास जाति कुशवाह के द्वारा दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया । जिसका प्र.क्र. 0.221/अ-68/2022-23 पंजीबद्ध किया जाकर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण अतिशीघ्र हटाया जायेगा। शेष भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया । सर्वे नं. 103 रकवा 0.157 है. जिसकी नोईयत आबादी गॉठान है जिसमें दरगाह बाबा कपूरशाह स्थित है । जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है । **2.** मौजा पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौजा हंसारी भाण्डेर के सर्वे नं. 30 शासकीय कब्रिस्तान अभिलेख दर्ज है । जिस पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया । **3.** श्री जाहिद अली के पत्र क्र. क्यू/2023 दिनांक 10.01.2023 में अंकित मौजा गद्दीपुर के सर्वे क्र. 1,2,7 से लगी भूमि सर्वे क्र. 8 कदीम शासकीय, सर्वे क्र.-09 पार, सर्वे नं. 10 रास्ता, सर्वे नं. 11 कदीम शासकीय सर्वे नं. 12 कब्रिस्तान शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिस पर कोई भी अतिक्रमण नहीं है और न ही कोई व्यवसाय किया जा रहा है। **4.** मौजा चकपीरखां, मौजा शाहबुद्दीनपुर, मौजा मालगुजार में अतिक्रमण के संबंध में (पत्राचार) या पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन
राजस्व विभाग शाखा-5
मंत्रालय, भोपाल